सं० सं०–17 / विविध 1–51 / 2018................ /

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

चूँकि बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि डा0 नन्द कुमार सिंह, सह–प्राध्यापक, हड्डी विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना प्रपत्र ''क'' में अन्तर्विष्ट आरोप में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(iii) के उल्लधंन के दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि :–

उक्त डा० सिंह के विरूद्ध प्रपत्र ''क'' में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के सुसंगत प्रावधानान्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाए।

डा० सिंह को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अन्दर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग को संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17 को नियुक्त किया जाता है।

डा० सिंह को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों का परीक्षण कराने के लिए इच्छुक हैं।

प्रपत्र ''क'' एवं साक्ष्य इसके साथ ही निर्गत किया जा रहा है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि प्रपत्र ''क'' की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह० / –
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– / स्वा, पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–साक्ष्य तालिका एवं प्रपत्र ''क'' की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जाँच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह० / –
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– / स्वा, पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–साक्ष्य तालिका सहित प्रपत्र ''क'' की एक प्रति प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17 को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– /स्वा, पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– डा0 नन्द कुमार सिंह, सह–प्राध्यापक, हड्डी विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/प्राचार्य, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 147/17/ /स्वा, पटना, दिनांक :– 25/2/19

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव(श्री कौशल किशोर) के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

23/02/19.
सरकार के अवर सचिव।